

Selection for the post of Staff & Welfare Inspector in Pay Band Rs.9300-34800 on Grade Pay Rs.4200/- in Personnel Department, Mysore Division, South Western Railway against 35% quota open to all Group 'C' & Group 'D' Railway employees - Written Examination fixed to be held on 25.08.2011

Maximum Marks : 100

Duration of the examination : 3 hrs.

INSTRUCTIONS TO THE CANDIDATES:

- 1) The name, designation, office and station of the candidate are to be written in the answer booklet only at the designated place.
- 2) If name is indicated at places other than the designated places (or) some other special marks are made anywhere in the answer booklet, then the answer booklet will not be evaluated.
- 3) The candidate shall not keep or use the mobile phone, calculator or any other instrument or logarithm table for the purpose of calculation. If any one is found using the same, they will be sent out of the examination hall and they will be disqualified from appearing for the examination.
- 4) Any candidate found copying or using any irregular practice at the venue of the examination will be disqualified from writing the examination and sent out of the examination hall.
- 5) All answers are to be written in the answer booklet only.
- 6) In respect of objective type question such as fill in the blanks; true or false; multiple choice question, etc., if there is any correction/overwriting in the answer, then the answer will not be evaluated and marks for the same will not be awarded.
- 7) In the event of any variation between English version and Hindi version of the question paper, the version given in English is to be taken as correct.

PART - A

Answer any five questions out of the following of Part-A:

Total Marks: 50

Question No.		Question	Max. Marks Allotted
		Write short notes on the subject given as Q.No.(1) & (2):	
1.	a.	Modified Assured Career Progression Scheme	5 marks
	b.	Procedure for imposition of Minor Penalty.	5 marks
2.	a.	New Pension Scheme	5 marks
	b.	The Industrial Disputes Act, 1947	5 marks

3.		An employee 'X' has retired from Railway Service on 31.07.2011 on attaining the age of superannuation with the following service particulars:-	10 Marks
	1.	Date of Birth : 15.07.1951	
	2.	Date of Appointment : 01.01.1981 (Temporary Status)	
	3.	Date of Appointment : 29.10.1985 (Regular)	
	4.	Date of Retirement : 31.07.2011	
	5.	Pay in Pay Band : Rs.11770 GP Rs.1800/-	
	6.	Commutation factor : 8.194	
		Calculate the following:	
	(i)	Total Qualifying Service	
	(ii)	Pension	
	(iii)	Pension after commutation	
	(iv)	Commutation amount	
	(v)	Family pension	
	(vi)	Retirement gratuity	
4.		What is the machinery provided for handling Industrial Relations on Railways? Give details right from the lowest to highest level.	10 Marks
5.		Briefly explain the salient provisions of Hours of Employment & Regulations.	10 Marks
6.		As a S&WI, what are all the factors to be taken into account while making a report for appointment of a Ward on Compassionate Grounds? Please explain.	10 Marks
7.		Procedure for appointment of medically decategorised staff in alternative posts & provisions applicable to them under "Persons with Disabilities Act, 1996".	10 Marks
8.	a.	What are the documents coming under Section 3 (3) of OL Act which are to be issued in Hindi-English bilingual form?	5 marks
	b.	What is the amount of cash award being given for passing Prabodh? Praveen & Pragma Examinations?	5 Marks
PART - B (Answering all questions of Part-B is compulsory)			
9.		The maximum amount of Ex-gratia Lumpsum Compensation payable as on 30.04.2010 is Rs.	1 Mark
10.		During entire service of an employee, Leave Not Due (LND) may be granted for a period not exceeding days on production of medical certificate.	1 Mark
11.		Family pension can be paid to children of deceased employees till they attain the age of years.	1 Mark

12.		Pensioners would be entitled to have commuted portion of pension restored to them on expiry of _____ years.	1 Mark
13.		Hours of work under Factories Act shall not be spread over for more than hrs. in a day including rest.	1 Mark
14.		The job analysis are of following four types, namely;-	4 Marks
	(i)	_____	
	(ii)	_____	
	(iii)	_____	
	(iv)	_____	
15.		When an employee is placed under suspension, the necessity to continue the suspension is to be reviewed before completion of _____ days of suspension.	1 Mark
16. ^F		_____ and _____ are called advances for conveyance.	1 Mark
17.		NPA stands for _____ which is paid to _____.	1 Mark
18.		No Railway servant shall be granted leave of any kind for a continuous period exceeding _____ years.	1 Mark
19.		_____ leave is granted to a Railway Servant who is disabled by injury inflicted or caused in or in consequence of due performance of his official duty or in consequence of his official position.	1 Mark
20.		The maximum amount of Deposit Linked Insurance (linked to PF deposit) admissible is Rs. _____.	1 Mark
21.		The official title of the present form of HOER is _____.	1 Mark
22.		Part final withdrawal of _____ % of the balance at credit of a subscriber is permitted if applied within 12 months before retirement on superannuation.	1 Mark
23.		New Pension Scheme to Railway Servants has been introduced w.e.f. _____.	1 Mark
24.		The quota of reservation for recruitment of ex-servicemen in Group 'C' is _____, whereas _____ reservation is provided to OBCs.	1 Mark
25.		If employee dies while in service as bachelor, family pension can be extended to his _____.	1 Mark
26.		The insurance coverage under the Group Insurance Scheme to the families of Group-D, Group-C, Group-B and Group-A staff is Rs. _____ Rs. _____ Rs. _____ and Rs. _____ respectively.	1 Mark
27.		Enhanced Family Pension is payable for a period of _____ years.	1 Mark
28.		Post retirement complimentary passes are admissible to Railway servants retired after putting in _____ years of service.	1 Mark

29.		PREM stands for	1 Mark
30.		In the year of retirement/resignation of a Railway employee, LAP shall be credited at the rate of _____ days for each completed calendar month of service.	1 Mark
31.		For payment of HRA, Cities & Towns have been classified as	1 Mark
32.		The earliest PU set up by Indian Railway is _____ and the latest is	1 Mark

Say "True" of "False"

13 question x 1 Mark = 13 Marks

33.		An employee under suspension should not be called to appear in a departmental selection.	
34.		MACP Scheme is applicable to all classes of Railway Servants.	
35.		The time limit to give Compassionate Ground Appointment in priority one case is three months.	
36.		A Railway Servant cannot be issued privilege pass for working unmarried daughter.	
37.		Reservation Rules are not applicable to safety categories.	
38.		Holding Enquiry is not necessary while imposing only minor penalty.	
39.		Group 'A' Officers will get only 03 sets of Privilege Pass till they complete 5 years of service.	
40.		Commuting certain portion of pension is not compulsory for a retired Railway Servant.	
41.		Vacancies in an ex-cadre post can be filled by Direct Recruitment.	
42.		Compassionate Ground Appointment against a deceased Group 'D' employee should be restricted only to Group 'D' post.	
43.		No alteration to the Date of Birth can be done once recorded during service.	
44.		Paternity leave is admissible to a Railway Servant who has three surviving children.	
45.		Son aged 25 years pursuing M.Tech in IIT Chennai can be included as a family member under pass rule.	

EXPAND the following terms:

10 question x 1 Mark each = 10 Marks

46.		COFMOW	
47.		RELHS	
48.		NTPC (Railway Term)	
49.		GDCE	
50.		RPF & RPSF	
51.		CGEGIS	
52.		PREM	
53.		IRCON	
54.		PPP	
55.		RDSO	

***** & *****

कार्मिक विभाग, मैसूर मंडल, दक्षिण पश्चिम रेलवे में वेतन बैंड 9300-34800, ग्रेड वेतन रु. 4200/- में 35 प्रतिशत कोटे में सभी ग्रुप सी. और डी. रेल कर्मचारियों के लिए कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक के पद हेतु चयन- दिनांक 25.08.2011 को लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी।

* * * * *

अधिकतम अंक : 100परीक्षा की अवधि : 3 घंटे

1. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थियों द्वारा अपना नाम, पदनाम, कार्यालय एवं स्टेशन लिखे जाएंगे।
2. यदि उत्तर पुस्तिका में दिए गए निर्धारित स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर नाम लिखे जाते हैं या उत्तर पुस्तिका पर कोई अन्य विशेष चिन्ह अंकित किए जाते हैं तो उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
3. अभ्यर्थियों को मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या कोई अन्य उपस्कर अथवा लॉगारिदम तालिका को कैलकुलेशन की दृष्टि से नहीं रखना है और न ही प्रयोग करना है। यदि कोई ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उन्हें परीक्षा भवन से बाहर निकाल दिया जाएगा और परीक्षा में बैठने हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
4. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा भवन में नकल या कोई अन्य अनियमित कार्य करते हुए पाए गए तो उन्हें परीक्षा लिखने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उन्हें परीक्षा भवन से बाहर निकाल दिया जाएगा।
5. सभी प्रश्नों का उत्तर केवल उत्तर पुस्तिका में ही लिखें।
6. वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए जैसे, रिक्त स्थानों को पूरा करना, सत्य अथवा असत्य, बहुवैकल्पिक प्रश्न आदि यदि किसी प्रकार का शुद्धि किया गया हो/उत्तर में ओवर राइटिंग हो तो उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा उसके लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।
7. यदि अंग्रेजी प्रति एवं हिंदी प्रती में किसी प्रकार का अन्तर पाया जाए तो अंग्रेजी प्रति को सही माना जाए।

भाग - क

निम्नलिखित में किन्हीं पाँच प्रश्नों का उत्तर दें।

कुल अंक : 50

प्रश्न सं.	प्रश्न	अधिकतम आवंटित अंक
1.	प्रश्न (1) और (2) में दिये विषय पर लघु टिप्पणी लिखें। ए. संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना।	5 अंक

	बी.	लघु दंड आरोपित करने के लिए प्रक्रिया।	5 अंक
2.	ए.	नयी पेंशन योजना	5 अंक
	बी.	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947	5 अंक

3.		कर्मचारी के दिनांक 31.07.2011 को आयु अधिवार्षिकी प्राप्त करने के कारण निम्नलिखित सेवा विवरण के साथ रेल सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं	10 अंक
	1.	जन्म की तारीख : 15.07.1951	
	2.	नियुक्ति की तारीख : 01.01.1981 (टेम्पेररी स्टेटस)	
	3.	नियुक्ति की तारीख : 29.10.1985 (नियमित)	
	4.	सेवानिवृत्ति की तारीख : 31.07.2011	
	5.	वेतन बैंड में वेतन : रु. 11770/- वेतन बैंड ग्रेड वेतन रु. 1800	
	6.	कम्युटेशन फैक्टर रु 8,194 निम्नलिखित को कैलकुलेट करें ।	
	i)	कुल अर्ह सेवा :	
	ii)	पेंशन :	
	iii)	कम्युटेशन के बाद पेंशन :	
	iv)	कम्युटेशन राशि :	
	v)	परिवार पेंशन :	
	vi)	सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटि :	
4.		रेलों पर औद्योगिक संपर्क रखने के लिए उपलब्ध मशीनेरी क्या है । निचले से उच्च स्तर तक विस्तृत अधिकार का विवरण दें ।	10 अंक
5.		रोजगार और विनियमन के घंटों के प्रमुख प्रावधानों को संक्षिप्त में व्याख्या करें।	10 अंक
6.		कर्मचारी और कल्याण निरीक्षक के रूप में रेल कर्मचारी के परिवारवाले के अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए क्या क्या कार्रवाई की जाती है। कृपया व्याख्या करें।	10 अंक
7.		चिकित्सीय रूप से विकोटिकृत कर्मचारी के लिए दूसरे पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया एवं अयोग्यता व्यक्ति अधिनियम, 1996 के तहत उन पर लागू होने वाले प्रावधान।	10 अंक
8	ए.	राजभाषा अधिनियम के धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कागजात कौन-कौन से हैं जिन्हें हिंदी-अंग्रेजी द्विभाषी में जारी किया जाना चाहिए।	5 अंक
	बी.	प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञा परीक्षाएं पास करने वाले को दिए जाने वाले नकद पुरस्कार की राशि क्या है।	5 अंक

भाग-ख
(भाग-ख के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है)

9.		30.04.2010 को देय एक्स ग्रेषिया एकमुश्त कंपेन्सेशन के अधिकतम रकम रु. है।	1 अंक
10.		किसी कर्मचारी के पूरी सेवाकाल के दौरान, चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर अदेय छुट्टी (एल एन डी) से अधिक दिनों की अवधि के लिए प्रदान नहीं किया जा सकता है।	1 अंक
11.		मृत कर्मचारियों के बच्चों को परिवार पेंशन वर्ष की आयु को प्राप्त करने तक दिया जा सकता है।	1 अंक
12.		पेंशनधारी अपने संचित पेंशन से कुछ पेंशन भाग को वर्ष बीतने पर पाने के हकदार होंगे।	1 अंक
13.		फैक्ट्री अधिनियम के अधीन विश्राम को मिलाकर कार्य घंटे को घंटे से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है।	1 अंक
14.		चार प्रकार के रोजगार विश्लेषण निम्नलिखित हैं, नाम के साथ:	4 अंक
	i)		
	ii)		
	iii)		
	iv)		
15.		जब किसी कर्मचारी को निलंबन के अधीन रखा जाता है, तो निलंबन को जारी रखने के लिए निलंबन के दिन पूरे होने से पहले पुनरीक्षण करने की आवश्यकता होती है।	1 अंक
16.	 और को सुविधा अग्रिम कहा जाता है।	1 अंक
17.		एन पी ए का अर्थ है जो को भुगतान किया जाता है।	1 अंक
18.		किसी भी रेल कर्मचारी को किसी भी प्रकार की छुट्टी वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं प्रदान किया जाएगा।	1 अंक
19.	 छुट्टी रेल कर्मचारी को प्रदान किया जाता है जो किसी चोट लगने से या के कारण अयोग्य हो गया हो या अपने कार्यालयीन ड्यूटी के देय कार्य के परिणाम स्वरूप या अपने कार्यालय स्थिति के परिणाम स्वरूप।	1 अंक
20.		डिपोजिट लिक्ड इंश्योरेंस के लिए लागू अधिकतम राशि है रु. (पी एफ डिपोजिट के प्रति लिंक)	1 अंक
21.		एच ओ ई आर के वर्तमान रूप का सरकारी नाम क्या है।	1 अंक
22.		अधिवर्षिका पर सेवानिवृत्त होने से पहले 12 महीने के भीतर यदि आवेदन किया जाता है तो किसी सबस्क्राइबर के क्रेडिट पर बैलेंस के % पार्ट फाइनल विथडरावल की अनुमति दिया जा सकता है।	1 अंक

23.	रेलवे कर्मचारियों के लिए नयी पेंशन योजना से लागू हुआ है।	1 अंक
24.	समूह-ग में भूतपूर्व कर्मचारियों के लिए आरक्षण कोटा. है, जबकि अन्य पिछड़ी वर्ग (ओ बी सी) को आरक्षण दिया जाता है।	1 अंक
25.	यदि कर्मचारी की सेवाकाल में अविवाहित मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार पेंशन उसके तक बढ़ाया जा सकता है।	1 अंक
26.	सामूहिक बीमा योजना के अधीन समूह-घ, समूह-ग, समूह-ख और समूह-क कर्मचारियों के परिवारों के लिए बीमा कवरेज क्रमशः रु., रु., रु. और रु. है।	1 अंक
27.	बढ़ाए गए परिवार पेंशन वर्ष की अवधि के लिए देय होता है।	1 अंक
28.	सेवानिवृत्ति के उपरांत रेल कर्मचारियों को मिलने वाले पूरक पास वर्ष की सेवा के बाद सेवा निवृत्त होने पर लागू होता है।	1 अंक
29.	पी आर ई एम का अर्थ होता है।	1 अंक
30.	किसी रेल कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र के वर्ष में , प्रत्येक पूरे कैलेंडर मास के लिए एल ए पी दर से दिया जाएगा।	1 अंक
31.	आवास किराया भत्ता की भुगतान के लिए नगरों एवं शहरों को के रूप में वर्गीकृत किया गया है।	1 अंक
32.	भारतीय रेल द्वारा स्थापित प्राचीनतम पी यू. है और नवीनतम है।	1 अंक

सही या गलत बताएं:

13 प्रश्न x 1 अंक = 13 अंक

33.	निलंबित कर्मचारी को किसी विभागीय चयन में बैठने के लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए।	
34.	एम ए सी पी योजना रेलवे के सभी वर्गों के कर्मचारियों के लिए लागू है।	
35.	अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामले में दिए जाने वाले प्राथमिकता पर समय सीमा तीन महीना होता है ।	
36.	किसी रेलवे कर्मचारी को रोजगारयुक्त अविवाहित पुत्री के लिए सुविधा पास जारी नहीं किया जा सकता है।	
37.	संरक्षा कोटियों के लिए आरक्षण नियम लागू नहीं होते हैं।	
38.	केवल लघु दंड आरोपित करते समय होल्डिंग इंकवारी आवश्यक नहीं होता है।	
39.	पांच वर्ष की सेवा पूरी करने तक समूह-क अधिकारियों को केवल 3 सेट सुविधा पास दिया जाता है।	
40.	सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए पेंशन के कुछ भाग को कम्प्यूट करना आवश्यक नहीं होता है।	
41.	एक्स कैडर पोस्ट में रिक्तियों को सीधी भर्ती द्वारा भरी जा सकती है।	

42.	किसी समूह-घ के मृत कर्मचारी के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति केवल समूह-घ में ही प्रतिबंधित होनी चाहिए।	
43.	सेवा के दौरान एकबार प्रविष्टि की गयी जन्म की तारीख को बदला नहीं जा सकता है।	
44.	जिस रेल कर्मचारी को तीन जीवित बच्चा है उसके लिए पितृत्व (paternity) छुट्टी लागू है।	
45.	पुत्र जिसकी आयु 25 वर्ष हो और आई आई टी चेन्नई में एम.टेक कर रहा हो तो उसे पास नियम के तहत परिवार सदस्य में शामिल किया जा सकता है।	

निम्नलिखित पदों को विस्तार में लिखिए :

10 प्रश्न x 1 अंक = 10 अंक

46.	सी ओ एफ एम ओ डब्ल्यू	
47.	आर ई एल एच एस	
48.	एन टी पी सी (रेलवे शब्द)	
49.	जी डी सी ई	
50.	आर पी एफ & आर पी एस एफ	
51.	सी जी ई जी आई एस	
52.	आर सी टी	
53.	आई आर सी ओ एन	
54.	पी पी पी	
55.	आर डी एस ओ	